should not have come to the poor children. They have not done anything. In the name of God and in the eyes of man, they are innocent and surely they ought not to have got the cruel fate that they have got. Therefore, if this is done, it is not really because we want to make light of the other side, the side of the administration's responsibility.

I again assure the House that I share the anxiety of the House and I share also their anxiety because what has happened in the case of Dr. Joseph is a symptom and therefore, the thing has got to be taken into consideration so that there is no recurrence of an incident of that type, and with the House on my side, Sir, I would be able to do that.

SHRI BHUPESH GUPTA; We have nothing personal here, but may I ask why in this Statement or report there is no reference to the various certificates that Dr. Joseph had got from the foreign universities and experts? That is number one. Secondly, why is it not stated that he was conduct- ' ing classes for M. Sc. and Ph. D. and also that it was within your knowledge that he had published a number of erudite papers? When it has been mentioned twice here that he failed or that he got a third division and all that, why are not these facts mentioned in this report? Surely the hon. Minister at least owes an explanation to the House.

SHRI S. K. PATIL: As I said, this has nothing to do with Dr. Joseph, hut what I am saying is that a student who passes an examination does get all the certificates that he got.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhargava, any reply?

SHRI M. P. BHARGAVA: Mr. Deputy Chairman, after the assurance of the hon. Minister, Shri Patil, that he will try to bring the human aspect in jhis Ministry, 1 have Jnothing to add.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The discussion is over.

THE DELHI PRIMARY EDUCATION BILL, 1960—*continued.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we go back to our consideration of the Delhi Primary Education Bill.

SHRI JOSEPH MATHEN: Mr. Deputy Chairman, Sir, I was speaking on the necessity to conduct a survey of the children in the locality where compulsory primary education is to be introduced. The private institutions should be extended some financial assistance so as to absorb these students in their institutions for imparting free and compulsory education.

Sir, while speaking about the medium of instruction in the schools where compulsory primary education is introduced, we will have to consider the possibility of introducing all the media of instruction that are accepted in the different States of India. If it is not possible to introduce all the media in the same school, I think, Sir, it will be advisable to recognise those private agencies which come forward to start schools in that medium which is accepted by any of the States in India. Sir, our friend, Mr. Rao, while speaking on this Bill, pointed out the progressive nature of the Kerala Education Act that was enacted by the Communist Ministry. We have seen, Sir, the repercussion on the people of that measure. That was an issue before the last General Election, and most of the members I who had supported that Bill, including the Education Minister of the Kerala Government, were defeated during the election. The P. S. T. A. representing more than 95 per cent, of the teachers opposed that measure. The students' organisation, representing at least 95 per cent, of the students of Kerala also opposed that measure because that B»ll took away

[Shri Joseph Mathen.]

j
most of the rights of the students to organise themselves to claim for their rights. The teachers opposed it because some of the rights and privi-^ges of the teachers which were ex-tended to them by the P. S. S. Scheme introduced by the previous Congress Government, were sought to be taken away by that Bill. They found this measure to be detrimental and opposed to the protection of their rights and privileges. The people in general also opposed this measure. The management of private schools which were responsible for bringing Kerala to the forefront as far as education is concerned also opposed it. While in- ' troducing that measure, I may be permitted to say, the Communist Government had no constructive view before them.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are not concerned with that now.

SHRI JOSEPH MATHEN: They wanted to victimise the management which never danced to their tunes.

DR. A. SUBBA RAO (Kerala): Has the present Kerala Government repealed that measure?

SHRI JOSEPH MATHEN: They may do it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

SHRI JOSEPH MATHEN; So far as this Bill is concerned, it has got a constructive aspect before it. I hope that this idea will be followed by most of the States and that we will see that our young children are at least imparted primary education so that they may become useful citizens of our country.

श्री पां० ना० राजभोज (मुम्बई) : उपसभापति महोदय, इस बिल से मुझे संतोष होता है, लेकिन बिल बहुत पहले आना चाहिये था, बहुत देर से आया है । हमारे संविधान की दफा ४५ में लिखा है :

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

यह टार्गेट दस वर्ष में भी हमसे पूरा नहीं हो सका ।

इस बिल के बारे में बहुत से लोगों ने अपने विचार प्रगट किये हैं । हमारे बम्बई स्टेट में बड़ौदा अब आया है । पहले जब वह स्टेट था तो महाराजा बड़ौदा ने १८९३ में कम्पल-सरी एजुकेशन के बारे में कानून बनाया था । कोल्हापुर में १९१७ में एक कानून बनाया गया था, कि कम्पलसरी एजुकेशन सब लोगों को मिलनी चाहिये । नामधारी श्री गोखले ने १९१२ में पार्लियामेंट में इसके बारे में बहस की थी । हमारी बम्बई असैम्बली में १९१८ में नामधारी विट्ठलभाई पटेल ने इसके बारे में जिक्र किया था ।

मैं आपके जरिये से बतलाना चाहता हूं कि यह बिल बहुत देर से आया है । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की हर स्टेट में ऐसा बिल आने की बड़ी आवश्यकता है । आज यह बिल केवल दिल्ली के लिये लाया गया है और लाया भी गया है तो बहुत देर से लाया गया है । इसलिये मुझे थोड़ा दुःख होता है । आज जो हमारे सामने बिल है उसका उद्देश्य दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा सख्ती से देने का है । मैं समझता हूं कि पंजाब का कानून अपूरा था, इस सिलसिले में और उसको रद करके यह कानून ठीक ढंग से लाया गया है और योग्य समय पर हम इसका विचार कर रहे हैं । किन्तु यह बिल ऐसा नहीं कहता कि दिल्ली में शिक्षण मुफ्त और सख्ती का होगा । यह बिल कहता है कि म्युनिसिपल कारपोरेशन या कमेटी या केन्टोनमेंट बोर्ड प्रस्ताव द्वारा अपनी धारणा बतायें । यह शिक्षण बाद में मुफ्त और सख्ती का होगा । तो यह ठीक नहीं है । जब आप लोकल अथारिटी को च्वाइस दे रहे हैं तो सवाल पैसे का, शिक्षकों का और जगह का

होगा और ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनके अभाव में प्राथमिक शिक्षण निगलेक्ट हुआ है, केवल दिल्ली में नहीं, किन्तु सारे भारत में। सारे राज्यों में सख्ती के शिक्षण का कानून है। लेकिन उसको एन्फोर्स नहीं किया जाता। उस का अमल ठीक तरह से नहीं होता है। मैजिस्ट्रेट ५० रुपया जुर्माना करता है और फिर कुछ नहीं होता। तो प्राथमिक शिक्षण मुफ्त होने पर भी उसका उपयोग नहीं किया जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो गरीब हैं वे अपने बच्चों को अपने साथ काम के लिये ले जाते हैं। पाठशाला में भेजने से उनका रोजाना एक दो रुपये का नुकसान होता है।

इसके लिये एक ही उपाय है और वह यह है कि केवल मुफ्त शिक्षण का जाहिरनामा या फर्मान निकालने से काम नहीं होगा। एक पाजिटिव इंड्यूसमेंट देना होगा और इसको विशेष आवश्यकता शेड्यूल्ड कास्ट्स के लड़कों को है क्योंकि गरीब होने से वे स्कूल में नहीं जा सकते हैं। वे रेलवे प्लेटफार्म पर, रास्ते पर बूट पालिश करते हैं, अखबार बेचते हैं, बकरी पालते हैं, और अन्य काम करके रोजाना एक दो रुपये लाते हैं और घर की मदद करते हैं। तो उनको पाजिटिव इंड्यूसमेंट देना जरूरी है और वह है स्कालरशिप और स्टायपेंड देना, कपड़े देना, किताबें देना, स्टेशनरी देना, और दोपहर को एक टाइम खाना देना। जब तक यह नहीं होगा तब तक मुफ्त शिक्षा देना सिर्फ कागज पर रहेगी। बहुत से सदस्यों ने इसके बारे में कहा है। मैं भी आपके ज़रिये से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि वे इस बारे में विशेष ध्यान देंगे। तो पैसे की जरूरत सब से पहली बात है। फाइनेंशियल मेमोरेंडम में कहा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में केवल दिल्ली के लिए १८८ लाख रुपये खर्च होंगे और उसके बाद ५० लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च होंगे। इसका बहुत सा हिस्सा केन्द्रीय सरकार भरेगी। यह सब अंदाजा लगाने के बाद भी मेमोरेंडम के अन्त में यह लिखा गया है कि :

"A scheme of compulsory primary education will be sanctioned by the State Government only in respect of areas where necessary facilities for imparting such education to children of the required age group will be made available."

इसलिए यह बिल सारी दिल्ली में एकदम से अमल में नहीं आयेगा, किन्तु आहिस्ता आहिस्ता, बाई स्टेजेज़ में काम होगा।

तो मैं समझता हूं कि यह इनेब्लिंग मेजर है। इससे मुफ्त शिक्षण नहीं दिया गया। यह एक अफसोस की बात है कि यह प्रश्न इतने महत्व का होने पर भी सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। संविधान में ६ से १४ वर्ष की उम्र की मर्यादा कही गई है तो शिक्षा मंत्रालय ने अपने ड्राफ्ट तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में ६ से ११ वर्ष की उम्र का हिसाब लगाया है। उनका कुल शिक्षा के लिए ६८० करोड़ रुपये के ऊपर का प्रोपोजल है जो प्रथम पंचवार्षिक आयोजना से पांच गुना और द्वितीय योजना से तिगुना है। द्वितीय पंचवार्षिक आयोजना में २७५ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और प्रथम पंचवार्षिक आयोजना में १६६ करोड़ रुपये हुए। अब इस बात को प्लानिंग कमीशन मानेगी या नहीं यह तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया है :

"We submit this Report in **tbi** expectation that these services amongst which education occupies the most important place will receive a more generous and imaginative deal not only in its own right **but** because the success of the Plan as a whole depends on the quality and efficiency of the personnel trained by our schools and colleges."

इसमें सब से बड़ी महत्व की योजना प्राथमिक शिक्षण की है और वह ५०२·४६ करोड़ की है यानी कुल का ५१·३ प्रतिशत

[श्री पां० ना० राजभोज]

है । इस सिलसिले में ड्राफ्ट प्लान में लिखा है :

"It aims at bringing about two crores children into school within the short period of five years."

तो इसके लिये ४ लाख मास्टरों की जरूर पड़ेगी । इसके आगे उस में लिखा है :

"In addition to this major project, special measures are proposed to be taken and these include a number of schemes like stipends and scholarships, free midday meals and other amenities."

तो सभापति महोदय, आपके जरिये से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि पैसे के अभाव में कितनी स्कीमें दिल्ली में या अन्य जगह रुक गई हैं । यह मैं आपको बता रहा था । अब यह है कि प्राइवेट मैनेजमेंट के स्कूलों में ज्यादा फीस ली जाती है और वहां दूसरे प्रकार का कर भी देना पड़ता है । कई प्रकार के ऐसे इंस्टीट्यूशंस यहां चलते हैं और इनके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । दिल्ली में ८३ नये पैसे हर एक विद्यार्थी से ब्वायज फंड के लिये लिया जाता है और बिल्डिंग फंड के लिये भी थोड़ा पैसा लिया जाता है । तो मेरा प्रपोजल यह है कि प्राइवेट मैनेज्ड स्कूलों में भी प्राइमरी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिये और सरकार को उनको भी इसके लिये ग्रांट-इन-एड देनी चाहिये ।

दिल्ली में और अन्य जगह ट्रेन्ड टीचर्स कम हैं और मुफ्त शिक्षा के लिये उनकी काफी आवश्यकता है । हमारे भाई सप्रू जी ने भी बहुत ही अच्छी बात कही है कि टीचर्स को अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिये और उनकी इज्जत होनी चाहिये क्योंकि जब आदर्श शिक्षक रहेंगे तो हमारे बच्चों की भी अच्छी तरह से उन्नति हो सकती है । उनको ज्यादा तनख्वाह देने के लिये कई लोगों ने कहा है । उनकी तनख्वाह कम होने से अच्छे शिक्षक हमें नहीं मिलते हैं और इससे हमारे बच्चों की एजुकेशन सफर हो रही है । इसलिये इन सारी बातों के लिये एक कमीशन को एप्वाइंट करने की अत्यन्त आवश्यकता है । प्राइमरी स्कूल टीचरों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में जो डिसपैरिटी है वह भी नष्ट होनी चाहिये। दिल्ली में प्रतिमास स्कूल जाने वाले ५० हजार बच्चे बढ़ते हैं और हम एक मास्टर को ५६ बच्चे पढ़ाने के लिये कह रहे हैं । तो इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है ।

दिल्ली में तीसरा अभाव है स्कूलों का । दिल्ली शहर राजधानी होने पर भी यहां की हालत भारत में सबसे बुरी है । यहां ४० परसेंट स्कूल टेंट्स में हैं, १० परसेंट शेड्स में हैं और २० परसेंट गिरे हुए पुराने मकानों में हैं । यहां दिल्ली में हालत बहुत ही खराब है । मैंने कई जगह घूम कर यहां देखा है । यहां स्कूलों में ओवरक्राउडिंग बहुत है । एक मिडिल स्कूल में जो कि जमुना के पास झील कुरिजा बस्ती में है वहां उसमें करीब १६००, १७०० विद्यार्थी हैं । यहां १५० सरकारी स्कूलों में से ३० तम्बू में हैं और अन्य स्कूल बरांडों में हैं और १ हजार क्लासेज इन स्कूलों में लगते हैं । कार्पोरेशन के ६७१ स्कूल हैं जो कि पक्के मकान से लेकर शेड और टेंट तक में लगते हैं । ६५७ क्लासेज तम्बू में और ३७८ क्लासेज शेड में लगती हैं । तो मेरी प्रार्थना यह है कि दिल्ली में इतनी खराब हालत है और इसको सुधारने के लिये बहुत कोशिश करने की आवश्यकता है । मैंने आपको कहा कि ६५७ क्लासेज तम्बू में हैं और ३७८ शेड में हैं । तम्बू तो आप जानते ही हैं । पिछले वर्ष से शेड नाम का नया मकान शुरू हुआ है, वह ईंट का होता है और उसके ऊपर एस-बेस्टास का छप्पर होता है । बस और कुछ नहीं, न दरवाजा न खिड़की । कार्पोरेशन के रूरल एरिया में चौपाल में पाठशाला लगती है । तो इस प्रश्न को हल करने के लिये नहीं सोचा गया है और इस अभाव के होते हुए यह मुफ्त शिक्षा गैरवाजबी है ।

दिल्ली में एक और बुरी चीज मैंने देखी है और वह है शिफ्ट सिस्टम । डा० ई० ए० पायरस जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन के मुख्याधिकारी हैं उन्होंने लिखा है कि यह डबल शिफ्ट सिस्टम जो कि एकोमोडेशन का प्रश्न हल करने के लिये शुरू की थी वह blight on school education' है। तो यह फौरन बन्द होना चाहिये यह प्रश्न और भी ज्यादा गम्भीर होगा जब कि आप प्राइमरी शिक्षण को बुनियादी शिक्षण में रूपांतरित करने की सोचेंगे ।

तो मेरी प्रार्थना यह है कि जब तक यह प्रश्न पूरी तरह से हल नहीं होगा तब तक आपका युनिवर्सल फ्री एजुकेशन का ध्येय प्राप्त नहीं होगा । फिर भी, यह बिल जो कि लाया गया है वह अच्छा है क्योंकि यह एक शुरूआत हुई है ।

हमारे सप्रू साहब ने भी कई बातें बताई हैं और हमारे शाह साहब ने भी बम्बई के बारे में और वहां के मिडिल स्कूल के बारे में बताया है और जो गरीब लोग हैं उनके बारे में बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट ले कर बताया है । तो मुझे आत्मविश्वास है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जायेगा तो अच्छे ढंग से इस पर विचार होगा और इसको "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" के रूप में यहां रखा जायेगा और इससे सबको सुख होगा, सबका कल्याण और सबका भला होगा । ऐसा मुझे आत्म-विश्वास है ।

कई लोगों ने कहा कि इसमें बेसिक को एड नहीं किया है । माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में जवाब देते वक्त बतायेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय जो बिल लाये हैं वह बहुत अच्छी तरह लिखा गया है । शाह साहब ने कहा : It is a way of life. मेरा कहना है कि डेमोक्रेसी में इतने धीरे-धीरे काम नहीं होना चाहिये, काम जल्दी होना चाहिये । हिन्दुस्तान में दलित जाति के लोग, आदिवासी और गिरे हुए लोग बहुत हैं, और उनके लिये कम्पलसरी एजुकेशन जल्दी शुरू होनी चाहिये और जो धीरे-धीरे काम हो रहा है वह ठीक नहीं है । इनके बारे में बहुत काम होने की आवश्यकता है । मेरी प्रार्थना है कि इसके ऊपर अमल अच्छे ढंग से होना चाहिये और जो गरीब लोग हैं उनकी सब प्रकार से जल्दी से जल्दी भलाई करने की कोशिश करनी चाहिये । जो कुछ प्रोपोजल्स हमने अपने भाषण में दिये हैं उनको इसमें स्थान देने की आवश्यकता है ।

हमारी बम्बई सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और वह यह है कि जिनकी आमदनी ९०० रु० है उनके लिये शिक्षा मुफ्त कर दी है चाहे वह किसी भी जाति का हो । यह जो बम्बई सरकार की पालिसी है, यह जो हमारे चीफ मिनिस्टर यशवन्त राव जी चव्हाण की पालिसी है, उसका सब स्टेट्स यदि अनुकरण करेंगी और उसी तरह से अच्छे ढंग से अपने यहां करेंगी तो अच्छा होगा । यहां कम्पलसरी एजुकेशन की बात है इसलिये बम्बई की यह बात मैंने बताई ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please refer to this Bill.

श्री पां० ना० राजभोज : बस हो गया । जो और जगहें हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा और अंडमान वहां की भी कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन करने की जरूरत है । हिमाचल प्रदेश का जो बार्डर एरिया है वहां भी इसकी बहुत जरूरत है । मुझे आत्मविश्वास है कि सब जगह कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन हो जायेगी । तो सब जगह यह चीज होनी चाहिये, ताकि लोगों की, हिन्दुस्तान के सब लोगों की उन्नति हो । शैक्षणिक उन्नति होने से सबका भला होगा और हम लोग जो कुछ करना चाहते हैं वह इसी दृष्टि से करना चाहते हैं । हमें आगे बढ़ाने के लिये सरकार कोशिश कर रही है । और

[श्री पां० ना० राजभोज]

हमारी सरकार मदद कर रही है। तो मुझे आत्मविश्वास है कि सरकार इस ओर ज्यादा ध्यान देगी। इतना कह कर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

4 P.M.

श्रीमती सावित्री निगम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आज प्राइमरी एजुकेशन बिल का सादर अभिनन्दन करने के लिये मैं भी यहां उपस्थित हुई हूं। इसमें सन्देह नहीं कि इसकी बहुत दिनों से ही प्रतीक्षा की जा रही थी और बड़ी प्रतीक्षा के बाद आज सदन के सम्मुख यह विधेयक उपस्थित हुआ है और कम से कम इससे उन तमाम अभिभावकों को जो कि दिल्ली में स्कूलों में भरती होने की कठिनाइयों से सदैव चिंतित रहते थे उनको राहत मिल गई है और विश्वास हो गया है कि जब सरकार प्राइमरी एजुकेशन को कम्पलसरी बनाने जा रही है तो यह तो अवश्य ही होगा कि उनके बच्चे, उनकी सन्तान स्कूलों में एडमिशन मिलने से वंचित न रहेगी।

श्रीमन्, इसमें संदेह नहीं कि वेल्फ़ेयर स्टेट की रचना, यह संविधान के द्वारा पहले से ही निर्देशित एक निर्णय है, और शिक्षा-दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी ही चाहिये। एक स्वर से सभी स्वीकार कर चुके हैं कि प्राइमरी शिक्षा को कंपलसरी बनाना ही चाहिये। लेकिन अब तक प्रश्न यह रहा है कि शिक्षा या तो बहुत उच्च कोटि की कुछ थोड़े बच्चों को मिले या साधारण शिक्षा अधिक से अधिक बच्चों को, अधिक से अधिक संख्या में, देश भर में दी जाय। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि अब इसी आधार को स्वीकार किया गया है कि चाहे शिक्षा उतनी उच्च कोटि की जितनी कि आवश्यकता है और कामना की जा रही है और की जानी चाहिये। उतनी उच्च कोटि की न भी मिले लेकिन लिखने पढ़ने का ज्ञान तो देश के हर गरीब अमीर बच्चे को मिलना ही चाहिये और इस दिशा में दिल्ली के लिये जो कदम उठाया गया है इसमें संदेह नहीं वह सराहनीय है।

जब हम यहां दिल्ली की पर कैपिटा इन्कम देखते हैं तो पता चलता है कि भारत के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में वह कहीं अधिक है। जैसे आप अंडमान निकोबार या हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से ले लीजिये, वहां पर पर कैपिटा इन्कम कहीं कहीं ७४ रुपये, कहीं २०० रु० और कहीं २५० रु० पर ईयर है। लेकिन यहां पर दिल्ली में पर कैपिटा इन्कम ६७९ रु० है मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ। मैं तो सोचती थी कि शायद यूनियन टेरीटरीज़ के लिये यह विधेयक लाया गया है लेकिन बिल को देखने से मुझे पता चला कि यह केवल दिल्ली के लिये ही लाया गया है। कहीं अच्छा होता यदि यह विधेयक पहले और दूसरी यूनियन टेरीटरीज़ के लिये लाया जाता और उसके पश्चात् ही दिल्ली पर लागू किया जाता। इसमें संदेह नहीं कि यहां पर भी बड़ी बड़ी मजदूर बस्तियां हैं और गरीब देहात हैं जिनके लिये प्राइमरी शिक्षा की आवश्यकता हुई। लेकिन फिर भी उनकी माली हालत हिमाचल प्रदेश और दूसरे क्षेत्रों से जहां पर ७४ रु० पर कैपिटा इन्कम है उनके कम्पेरिजन में काफी अच्छी है।

श्रीमन्, हम सभी यह चाहते हैं, और बहुत से माननीय सदस्यों ने भी कहा, कि शिक्षा में अच्छा वातावरण होना चाहिये, सुन्दर बिल्डिंग होनी चाहिये, अच्छे अच्छे चित्र और चार्ट होने चाहियें। इसमें भी सन्देह नहीं कि प्रत्येक शिक्षा शास्त्री के मन में, विशेष रूप से हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जो स्वयं शिक्षा के आचार्य हैं, उनके मन में और हम सबों के मन में यह उद्देश्य है, यह लक्ष्य है कि हमारे देश में शिक्षित होने की भावना का विकास हो। हमारी शिक्षा का लक्ष्य यह ही नहीं कि उसमें अच्छा सुन्दर वातावरण होगा, अच्छे सुन्दर चित्र होंगे बल्कि वह एक ऐसी संस्था बन जायगी

कि जिसमें बच्चे के नैतिक, बौद्धिक और मानसिक विकास की पूरी-पूरी व्यवस्था होगी और इस तरह हमारी शिक्षा संस्थायें एक आश्रम का रूप धारण करेंगी जहां बच्चे को पूरे जीवन के लिये एक ऐसी सांस्कृतिक शिक्षा भी दी जायेगी जो उसका जीवनपर्यन्त मार्गदर्शन करती रहे । हमारा जो बेसिक शिक्षा का सिद्धांत है उसमें देश के बहुत बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों ने स्पष्ट कहा है कि उन संस्थाओं का मतलब यही नहीं होगा कि बच्चे को लिखना पढ़ना आ जायेगा बल्कि साथ ही साथ और तरह के विकास के लिये उसको तैयार कराया जायेगा, और उसको जीवन के लिये उपयोगी वे तमाम वस्तुयें सिखा दी जायेंगी जो आगे चल कर उसे एक सफल नागरिक बना सकें । साथ ही साथ, शिक्षा के व्यय की जिम्मेदारी प्राइमरी स्टेज पर ही नहीं बल्कि आगे चल कर भी अभिभावकों को उस तरह नहीं उठानी पड़े जैसे आज उठानी पड़ती है । मेरा यह अनुमान है कि प्राइमरी शिक्षा के इस विधेयक द्वारा जो रूपरेखा खींची गई है और १८८ लाख रुपये व्यय के साथ प्रति वर्ष जो पचास, साठ लाख रुपये खर्च होंगे उससे यह नहीं होगा कि आज जो सम्पन्न परिवारों के बच्चे हैं, जो ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जो कि पब्लिक स्कूलों में, कन्वेन्ट्स में जा सकते हैं उनके ऊपर खर्च होगा । उनपर एक पाई नहीं हो सकेगा बल्कि मेरा विश्वास है कि उस तमाम रुपये का एक एक पैसा मजदूर बस्तियों में और दिल्ली के रूरल एरियाज में बसने वाले गरीब आदमियों के बच्चों पर खर्च होगा जहां वास्तव में बच्चों को सरकारी सहायता की बहुत आवश्यकता है ।

श्रीमन्, अभी कुछ भाइयों ने यह चर्चा करते हुए कहा कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा फ़ीस ली जाती है, कभी-कभी बहुत ज्यादा चंदे उघाये जाते हैं जो कि अनुचित है । उन्होंने एक संस्था का नाम लिया जिसको मैं एक आदर्श संस्था मानती हूं । उन्होंने कहा कि भारतीय विद्या भवन में बहुत ज्यादा फ़ीस ली जाती है जिसको गरीब लोग नहीं दे सकते । मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि भारतीय विद्या भवन एक बहुत उच्च कोटि की संस्था है । काफ़ी दिनों से मैं उस संस्था के विषय में गहरी जानकारी रखती हूं । वहां जो शिक्षा दी जाती है वह यही नहीं कि प्राइमरी शिक्षा तक सीमित हो बल्कि संगीत की भी शिक्षा, चित्रकला की भी शिक्षा दी जाती है । आप यह जानते हैं कि आजकल की मंहगाई के जमाने में जो ललित कलाएं वहां के बच्चों को भारतीय विद्या भवन में सिखायी जाती हैं वे अन्यत्र किसी शिक्षा संस्था में सिखाई जाती होंगी तो शायद जितनी फ़ीस भारतीय विद्या भवन में ली जाती है उससे कहीं अधिक फ़ीस वहां ली जाती होगी । इसके साथ ही साथ उन्होंने गरीब बच्चों के लिये व्यवस्था कर रखी है, उनके लिये कुछ परसेंटेज फ़िक्स कर दिया है और उनको बिल्कुल फ्री शिक्षा वहां पर दे रहे हैं । मैं सोचती हूं कि किसी भी डिमोक्रेटिक कन्ट्री में चाहे वह अनडेवेलप्ड कन्ट्री है या चाहे डेवलप्ड कंट्री है, उसमें हर वालेन्टरी आर्गनाइजेशन को शिक्षा प्रसार का काम बड़ी देशभक्ति की भावना के साथ लेना चाहिये और जो ऐसे काम अपने हाथ में लिये हुए हों उनको सरकारी सूत्रों से न केवल सहायता मिले बल्कि पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिये । इसमें संदेह नहीं कि बहुत से लोगों ने शिक्षा संस्थाओं के नाम से स्कूलों की दूकानें खोल दी हैं । उनके ऊपर अवश्य ही नियंत्रण होना चाहिये । लेकिन जो ऐसी उच्च कोटि की संस्थायें हैं जो बच्चों की सांस्कृतिक, बौद्धिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करा रही हैं उनके विषय में ऐसी आलोचना करना या ऐसी धारणा बनाना कि उनको सरकारी प्रोत्साहन

[श्रीमती सावित्री निगम]

कम मिले, मैं समझती हूं यह सर्वथा अनुचित है ।

श्रीमन्, इस विधेयक में कई बार, कई एक क्लाजेज में इस पर जोर डाला गया है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि होंगे उनके ऊपर भी शिक्षा की जिम्मेदारी उसी तरह दी जायेगी जैसी कि आज है । मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहती हूं कि आज की मौजूदा स्थिति में हमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में और कार्पोरेशन में जैसा कि हमें दिखायी देता है कैसी राजनैतिक दल-बंदियां होती हैं, उसको देखते हुए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को अगर उनके हाथों में छोड़ा गया तो हमारे शिक्षा शास्त्रियों को राजनैतिक दलदल में फंस जाने के कारण, पोलिटिकल गुटबंदियों के कारण, अनेक कठिनाइयां हो जायेंगी । एक-एक छोटे काम या योजना जिसको करने में एक दिन या एक महीना लगना चाहिए उसको करने में वर्षों लग जाते हैं तो फिर यह प्राथमिक शिक्षा का काम कैसे आगे बढ़ेगा ? यह ठीक है कि पहले प्रजातंत्र की प्राथमिक जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ी जाय । लेकिन इसमें बड़ी गंभीरता-पूर्वक विचार मंथन करने के बाद अनेक परि-वर्तन, परिवर्धन और संशोधन करने की आवश्यकता है । दूसरी बात जो इस प्रकार के कार्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में सब से खराब होती है वह यह है कि जो बेचारे शिक्षक होते हैं उनको भी पोलिटिकल पार्टीज के नुमाइन्दे अपने प्रभाव में फंसा कर और उन पर बेजा दबाव डाल कर उनसे अपने राजनैतिक स्वार्थ की सिद्धि कराने की चेष्टा करते हैं । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों के बारे में अगर मैं पूरी तरह से बताऊं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं चन्द शब्दों में कुछ बताना चाहती हूं । यह मेरा अपना निजी अनुभव है कि जब इलेक्शन का जमाना होता है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई अधिकारी किसी इलेक्शन में खड़ा होता है तो सारे शिक्षकों को बिना उनकी मर्जी के जबरदस्ती काम करना पड़ता है । इस तरह से इन संस्थाओं को शिक्षकों की जिम्मेदारी तो सौंपी जाय लेकिन रूल्स ऐंड रेग्युलेशंस ऐसे बनने चाहिएं जिनसे उनको एक तरह की आटोनामी मिल जाय । दूसरे रूल्स ऐंड रेग्युलेशंस में इस बात की भी सतर्कता बरती जानी चाहिए कि चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कार्पोरेशन के कंट्रोल में स्कूल हों चाहे गवर्नमेंट के डाइरेक्ट कंट्रोल में स्कूल हों, उनके टीचर्स की सर्विसेज में युनिफार्मिटी रहे, उनके कैरिकुलम में युनिफार्मिटी रहे, और इंस्पेक्शन वगैरह की जितनी भी चीजें हैं उन सब में युनिफार्मिटी रहे । वैसे तो सारे ही शिक्षक बहुत ही इल-पेड हैं और उनको इतनी स्टार्विंग वेजेज मिलती हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है । यही कारण है कि जो मेधावी, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे कभी शिक्षण के कार्य में जाना नहीं चाहते । मुझे समाज सेवा करने का अवसर मिलता रहता है, इसलिये मैं यह अकसर देखती रहती हूं कि जो बिल्कुल निकम्मे और थर्ड क्लास लोग हैं वे पहले अर्जियां लेकर घूमते फिरते हैं और यह कहते हैं कि हमें कोइ नौकरी दिलवा दी जाय । लेकिन जब उनसे यह कहा जाता है कि तुम को नौकरी नहीं मिल सकती, तो वे कहते हैं कि टीचरी को ही नौकरी दिलवा दीजिये । भारत के भावी विकास के लिए नये नागरिकों का

निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम है । जो शिक्षा बचपन में दी जाती है वह एक बच्चे के लिए जीवन भर की सम्पत्ति होती है । इतनी बड़ी जिम्मेदारी के प्रौफेशन में केवल बिल्कुल थर्ड क्लास और निकम्मे लोग ही प्रवेश कर पाते हैं । हर योग्य आदमी यह चाहता है कि उसकी कम से कम इतनी आय तो हो ही जिससे वह सम्मानपूर्वक अपना जीवनयापन कर सके । अब आप ही बताइये कि जो व्यक्ति सम्मानपूर्वक अपना जीवनयापन न कर सके वह देश की संतानों का बौद्धिक और नैतिक विकास कैसे कर सकेगा । तो मैं यह चाहती हूं कि जब ५०, ६० लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च होगा तो शिक्षकों के लिए ऐसे नियम बनायें जायें कि वे प्राइवेट ट्युशन न कर सकें। आज उनकी सारी इनर्जी प्राइवेट ट्युशनों में खर्च होती है । इसके साथ साथ उनकी तनख्वाहें और बढ़ाई जायें । उनको ऐसा इंसेंटिव दिया जाय कि यदि वे इतने साल काम कर लेंगे तो उनका पे स्केल इतना होगा जिससे उनको आशा रहे कि आगे चल कर उनकी सेलरी बढ़ जायगी ।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं। कई भाइयों ने उर्दू शिक्षा के विषय में कहा । मैं उनकी जानकारी के लिए बतलाना चाहती हूं कि दिल्ली में अगर किसी स्कूल में उर्दू पढ़ने वाले १९ या २० बच्चे होते हैं तो उनके लिए उर्दू की शिक्षा का इंतजाम हो जाता है। इसी तरह मेरा जहां तक अनुमान है अगर अन्य भाषाभाषी बच्चे २० या २२ या २५ की संख्या में होते हैं तो उनके लिए भी अपनी भाषा में शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया जाता है । यदि ऐसा कहीं नहीं होता है तो इसमें कानून की कमजोरी नहीं है बल्कि उनकी कमजोरी है जिनके द्वारा कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है ।

इस संबंध में एक दो बातें और कहना चाहती हूं । हम लोगों के पास एक बहुत ही सुन्दर और उपयोगी नोट आया है जिसमें नेशनल एजुकेशन के साथ साथ मारल एजुकेशन का जिक्र किया गया है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यों तो सारा संसार आज सभ्यता और विकास के शिखर पर पहुंच चुका है, लेकिन जहां तक नैतिक शिक्षा का और नैतिक विकास का संबंध है, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहती हूं कि आज भी संसार का पूरा ध्यान इस ओर केंद्रित नहीं है । तो जो रिपोर्ट हम लोगों को मिली है, उसमें मारल एजुकेशन के जो प्रश्न उठाय गये हैं व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । कल से आज तक मुझे जितना भी समय मिल सका, मैंने उस रिपोर्ट को सरसरी निगाह से देखा और मैं इस परिणाम पर पहुंची हूं कि सचमुच वह बहुत ही उपयोगी रिपोर्ट है । लेकिन उसकी दो एक बातों ने मुझे कौतूहल में डाल दिया है और मंत्री महोदय से मैं उनका स्पष्टीकरण चाहती हूं । उसमें यह बात लिखी गई है कि मारल एजुकेशन के बारे में जो कमेटी बने वह सब धर्मों का समन्वय करके, हर धर्म की अच्छी अच्छी बातें ले लें, और उन बातों को बच्चों को सिखाया जाय । दूसरी बात उसमें यह भी कही गई है . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra' Pradesh): But we can discuss it at some other time. I do not know whether the Education Minister will enlighten us. With your permission, Sir, I say that it is itself a very important subject and it should bi discussed by this House. If it is so, then my learned friend can reserve her observations for that occasion. It is-only a suggestion.

श्रीमती सावित्री निगम : इसके पहले कि हम दो एक बातों पर नियमित रूप से विचार करें, मैं चाहती हूं कि मैं उन बातों को शिक्षा मंत्रालय के ध्यान में ले आऊं ताकि ऐसा न हो कि हम गलत तरीके पर चले जायें । बहुत

[श्रीमती सावित्री निगम]

प्रतीक्षा के बाद नैतिक शिक्षा की बात हमारे सामने आई है और कहीं ऐसा न हो कि किसी गड़बड़ी में पड़ कर उसमें खराबी आ जाय। इसलिये मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। एक तो यह है कि यह बहुत ही जिम्मेदारी का काम होगा। हमारी स्टेट सेक्युलर स्टेट है। यह आप जानते ही हैं कि हमारे देश में जो माइना-रिटीज हैं या जो भावुक लोग हैं उनमें बड़ी आसानी से छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी पैदा हो जाती है। इसलिये मेरा अनुरोध यह है कि नैतिक शिक्षा के लिये टैक्स्ट बुक्स वगैरह तैयार करने के लिये जब सिलेक्शन कमेटियां बनाई जायें तो उनका इस तरह से चुनाव हो कि उनमें हर धर्म के जानकार लोग लिये जायें। जब ऐसा होगा तभी हम नैतिक शिक्षा के साथ इन्साफ कर सकेंगे। इसी प्रकार नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के विषय में मुझे एक बात कहनी है। वैसे इस संबंध में बड़ी अच्छी विवेचना की गई है और मुझे उसकी आलोचना नहीं करनी है।

DR. K. L. SHRIMALI: The hon. Member is making very important suggestions though, if I may say so respectfully, they have very little relevance to the present discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They *e* 'e not relevant.

SHRI T. S. AVINASHLINGAM CHETTIAR (Madras): They are not even within a furlong of it.

श्रीमती सावित्री निगम : मैं निश्रता पूर्वक यह कहना चाहती थी कि उसमें आइ-डियालाजिकल ट्रेनिंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब जब यह विषय सदन के सामने आयेगा तब मैं अपने सुझाव दूंगी।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी त्रिपुरा मणिपुर और हिमाचल प्रदेश के बैकवर्ड इलाकों में भी लागू किया जाना चाहिये। अगर इसी विधेयक के द्वारा लागू किया जायेगा तो इसका ज्यादा फोर्स होगा बनिस्बत इसके कि रूल्स बनाते वक्त यदि ऐसा किया गया तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इतना कहने के बाद मैं इस विधेयक का सादर अभिनन्दन करती हूं।

श्री देवकीनन्दन नारायण (मुम्बई) : उपसभापति महोदय, यह कहते हुए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं कि "बैटर लेट दैन नेवर"। हमारे माननीय मंत्री जी ने कल प्रातः स्मरणीय स्वर्गस्थ गोखले जी का जिक्र किया था और ४० वर्ष पहले की बात कही थी और उससे प्रेरणा लेने की कोशिश की थी। पर जब मैं देखता हूं कि इस बिल का स्वरूप क्या है तो मुझे बहुत दुख होता है। गोखले जी ने ४० वर्ष पहले सारे भारत में फ्री कम्पलसरी एजुकेशन का बिल पेश किया था। आज हमारे माननीय मंत्री जी सिर्फ इस दिल्ली के लिये फ्री कम्पल-सरी एजुकेशन का बिल पेश कर रहे हैं। तो इतनी ही प्रेरणा यदि गोखले जी से मिली होगी और इस कदम से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे तो न जाने कितना वक्त सारे हिन्दुस्तान को व्याप्त करने में लगें यह मैं नहीं कह सकता।

कल मंत्री जी के भाषण के दौरान में श्री भूपेश गुप्त ने एक सवाल किया कि आप इस तरह का बिल सारे भारत के लिये क्यों नहीं लाते हैं तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि साहब यह तो स्टेट सबजैक्ट है। ठीक है, टैकनिकल जवाब तो बहुत ठीक है परन्तु हमें यह सोचना चाहिये कि हर एक स्टेट अपने राज्य में फ्री एंड कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन करना चाहती है लेकिन क्योंकर ऐसा नहीं कर सकती है। उसका एकमात्र कारण है पैसे का अभाव। अगर पैसे की तजवीज मध्यवर्ती सरकार कर दे तो हर एक राज्य अपने राज्य में फ्री और कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन करने के लिये तैयार हो जाय। तो बात यह नहीं है कि यह स्टेट सबजैक्ट है, बात यह है कि स्टेट के पास पैसा नहीं है। आप पैसे की तजवीज कर दें तो स्टेट्स इस काम को करने लग जायेंगी। इस

लिये श्री भूपेश गुप्त ने जो सवाल पूछा था वह ठीक ही था । सवाल यह नहीं है कि आप कानून बना दें, सवाल यह है कि सारे भारतवर्ष में कम्पलसरी एजुकेशन होने की सुविधा आप पैदा करने की कोशिश करें जिसको कि आप नहीं कर रहे हैं । आपने गोखले जी का नाम लिया । गोखले जी ने इस प्रश्न को फर्स्ट प्रायरिटी दी थी परन्तु दुख है कि इस देश में इन १० वर्षों में दो योजनायें खत्म होने को आईं परन्तु तब भी पता नहीं कि इसको कौन सी प्रायरिटी दी जा रही है । यह मैं नहीं समझा । सच पूछा जाय तो इस प्राथमिक शिक्षा के सवाल को प्रथम प्रायरिटी मिलनी चाहिये थी क्योंकि इसका संबंध देश के उन करोड़ों गरीबों से आता है जिनसे कि बहुत से सवालों का संबंध नहीं आता है । यही एक काम ऐसा है जिसको कि सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी के नाते से भी सारे गरीबों तक पहुंचाया जा सकता है परन्तु प्राथमिक शिक्षा के काम के संबंध में भी दस बर्ष हो गये हैं, हम बात कर रहे हैं और कुछ कर नहीं सके हैं । इसलिये मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वह सरकार के ऊपर यह जोर डालें कि इस काम के लिये अधिक पैसा निकाला जाय और राज्यों को दिया जाय ताकि राज्य इस काम को कर सकें ।

दूसरी बात मंत्री महोदय ने यह कही कि यह माडल बिल है, यह हम एक नई बात दिल्ली में कर रहे हैं । मैं मंत्री महोदय को याद दिलाऊंगा कि यह फ़्री एंड कम्पलसरी शिक्षा बम्बई राज्य में आज कई वर्षों से चल रही है ।

श्री जसौद सिंह बिष्ट : उत्तर प्रदेश में भी चल रही है ।

श्री देवकीनन्दन नारायण : और जगह भी होगी परन्तु बम्बई राज्य में कई वर्षों से चल रही है और आज वह यहां तक पहुंच गई है कि बम्बई राज्य के—मैं पुराने बम्बई राज्य की बात कर रहा हूं—हर एक गांव तक फ़्री एंड कम्पलसरी शिक्षा पहुंच गई है । इसलिये यह नहीं समझ लेना चाहिये कि हम यह एक बहुत बड़ा और प्रथम काम गोखले जी के बाद करने जा रहे हैं । यह बात नहीं है । यह बात हो चुकी है और बम्बई राज्य में आज कई वर्षों से जारी है ।

इसके बाद जब मैं इस बिल की ओर देखता हूं तो यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह बिल एक हाल्टिंग मेजर है यानी इसमें कदम जल्दी से नहीं बढ़ा है, बड़े हाल्टिंग तरीके से सोच सोच कर कदम रखने की कोशिश है । सबसे पहले देखियेगा इसमें यह है :

"Education in the whole or any part of the area within its jurisdiction where the children live."

सब से पहला हाल्टिंग कदम यह है कि सारी उस लोकैलिटी में यानी म्यूनिसिपैलिटी की ज्यूरिस्डिक्शन में जितने आते हैं उतने के लिये भी नहीं किया है । लोकल अथारिटी यानी जो म्युनिसिपैलिटी है वह म्युनिसिपैलिटी चाहेगी तो अपने दो मुहल्लों में, चार मुहल्लों में ही इसे कर सकती है । पूरे शहर का भी भरोसा नहीं दिलाया जा रहा है । तो जैसा कि मैंने कहा, यह हाल्टिंग मेजर है । दो मुहल्ला, चार मुहल्ला, छः मुहल्ला, इस तरीके से जब आप आग बढ़ना चाहते हैं तो शक पैदा होता है कि आप आखिरी मंजिल तक कितने वर्षों में पहुंचेंगे ।

दूसरी बात यह है कि आप इसमें यह भी नहीं तय करते हैं कि कहां से कहां तक की शिक्षा आप फ़्री और कम्पलसरी देंगे । वह भी आपने लोकल अथारिटी के ऊपर छोड़ दिया है और जब लोकल अथारिटी के ऊपर यह चीज सौंपी जाती है तो लोकल अथारिटी पहले अपनी तिजोरी की तरफ देखती है कि हम कितना पैसा खर्च कर

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

सकेंगे । आगे आपने कहा है कि लोकल अथारिटी स्कीम बनायेगी और जब अगर लोकल अथारिटी किसी काम को नहीं करेगी तब स्टेट अथारिटी भी उनसे स्कीम बनवा सकते हैं । तो लोकल अथारिटी जब स्कीम बनायेगी तब वह अपने पैसे की सहूलियत देखेगी । जब वह नहीं करेगी तब आप करेंगे और तब आप अपनी सहूलियत देखेंगे । इस तरह से यह सारा प्रश्न पैसे के ऊपर घूमता रहेगा, उसके ऊपर चक्कर काटता रहेगा । यह मैं कहना चाहता हूं । यदि यह बात अच्छी है, आवश्यक है तो इसको फौरन दिल्ली राज्य में एक साथ शुरू कर दें । इसकी भी कोई गारंटी इस बिल में नहीं है । यही डर है कि सारे शहर में, सारे दिल्ली राज्य में यह फौरन शुरू होने वाला नहीं है ।

आगे चल कर के जो बात मैंने ऊपर कही है वही दुहराई गई है और वह यह कि इसमें यह है : "For children of either sex or both sexes" यानी इसमें भी फर्क किया जा सकता है । लोकल अथारिटी यह सोचेगी कि बच्चे बच्ची दोनों को शिक्षा दी जाय या पहले सिर्फ बच्चों के लिये शुरू किया जाय और बाद में बच्चियों के लिये, यानी गवर्नमेंट ने सहूलियत का, निकलने का, रास्ता रखा है । मुझे याद है कि सन १९१८ में जब कि मैं पूना में पढ़ता था—बम्बई राज्य की बात मैं कह रहा हूं—तब १९१९ में पूना म्युनिसिपैलिटी पूना शहर में फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन शुरू करना चाहती थी परन्तु तब यह विवाद वहां खड़ा हो गया कि पहले लड़कों के लिये शुरू की जाय या लड़कियों के लिये या दोनों के लिये और उस विवाद में एक तरफ रैंगलर परांजपे थे और दूसरी तरफ लोकमान्य तिलक थे । यह झगड़ा पूना में १९१८ में चला और आखिर में कुछ वर्षों के बाद दोनों को शिक्षा देने का तय हुआ । तो यहां पर भी यह सोचने का लोकल अथारिटी को अख्तियार दिया जा रहा है कि बोथ सेक्सेज को, यानी लड़के और लड़कियों दोनों को शिक्षा दी जाय या पहले लड़कों को और फिर उसके बाद लड़कियों को । तो लोकल अथारिटी को किसी तरह से भी इस तरह की सहूलियत नहीं देनी चाहिये । आपको यह तय कर देना चाहिये कि नहीं, सब के लिये, ६ से ११ वर्ष तक की उम्र के लड़के और लड़कियों सब के लिये फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन दी जायगी ।

तीसरी बात यह है कि इसमें एक्ज़म्पशंस दिये हुए हैं । पहला एक्ज़म्पशन यह है :

"That there is no approved school within the prescribed distance from his residence;"

अरे भाई उसके प्रेस्क्राइब्ड डिस्टेंस के भीतर स्कूल है या नहीं, इसकी तजवीज तो आपको करनी चाहिये, लोकल अथारिटी को करनी चाहिये, इस कारण से उसे एक्ज़म्पशन नहीं मिलना चाहिये । उसकी लोकैलिटी में, नजदीक में, स्कूल नहीं है इस लिहाज से उसको एक्ज़म्पशन देने का मतलब तो यह है कि उस लड़के को आप पढ़ने से वंचित रखना चाहते हैं । आपका फर्ज तो यह है कि उस लोकैलिटी में स्कूल खोलें और किसी लड़के को भी इतनी दूर न जाना पड़े कि उसको एक्ज़म्पशन मिल जाय । आपको तो एक्ज़म्पशन से उसको बचाना चाहिये और हर एक जगह नजदीक नजदीक स्कूल खोलना चाहिये ।

इसके बाद, अटेंडेंस अथारिटी का सवाल है । यह है कि अटेंडेंस अथारिटीज़ नियुक्त की जायेंगी । मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि ये अटेंडेंस अथारिटीज़ ग्राम पंचायतों को रिसपांसिबिल हों यानी खास कर के गांवों में—यहां भी दिल्ली राज्य में ३०० गांव हैं—अटेंडेंस के लिये जो अधिकारी नियुक्त हों वे ग्राम पंचायतों को रिसपांसिबल हों । इसका कारण यह है कि वे ग्राम पंचायत

के प्रति रिसपासिबिल होंगे तो ग्राम पंचायत अपने यहां के स्कूलों में इंटरेस्ट लेने लगेगी और यह सोचेगी कि हमारे गांव के किस घर का लड़का पढ़ने क्यों नहीं जाता है, उसको किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है और कौन सी सहायता देने से वह जाने लग जायेगा । इसलिये मैं यह चाहूंगा कि स्कूल की व्यवस्था के साथ, खास कर के इस फ्री कम्पलसरी एजुकेशन की वजह से, लड़कों को स्कल में जाना चाहिये—इस बात के ऊपर देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होनी चाहिये ताकि ग्राम के जो लीडर्ज हैं, गांव के जो मुखिया हैं वे भी देखते रहें कि हमारे गांव का कौन लड़का कौनसी जाति का लड़का, कौनसी स्थिति का लड़का पढ़ने जाता है और कौन नहीं जा रहा है । इसलिये मैं कहता हूं : The attendance authorities should be made responsible to the gram-panchayats.

श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंह का (पश्चिमी बंगाल) : ग्राम पंच को ही कर दें ।

श्री देवकीनन्दन नारायण : हां, वह भी हो सकता है । उसके बाद आपने इसमें यह तो बहुत अच्छी तजवीज की है :

"No person shall employ a child in a manner which shall prevent the child from attending an approved school."

यह तो बहुत अच्छी बात है परन्तु यह तजवीज करते वक्त आपको यह भी सोचना चाहिये कि हमारे देहात के गरीब लड़के क्योंकर नौकरी करने लगते हैं, बचपन से ही गाय भैंस चराने ले जाते हैं, घास खोदने जाते हैं ? उनकी हालत क्या है ? तो उनकी आर्थिक समस्या को भी हमें सोचने की आवश्यकता है, इसीलिये मैंने ग्राम पंचायत का नाम रखा कि वह भी समझें कि हमारे गांव के कौन लड़के कहां जाते हैं और क्या करते हैं । आपको भी सोचना चाहिये कि दिल्ली जैसे शहर के स्टेट में गरीब बच्चों की परवरिश कैसे होगी ? मिड डे मील्स की तजवीज होना जरूरी है मगर उतना न हो तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आजकल की शिक्षा में पट्टी, पेंसिल, किताबों में भी इतना खर्च होता है कि जिसको गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता । तो आप ऐसी तजवीज क्यों न करें कि जो गरीब बच्चे पढ़ने आयेंगे, बहुत कंगाल बच्चे, उनको आपकी तरफ से या लोकल आथारिटी की तरफ से स्लेट, पेंसिल, किताबें मिलें । आप हर साल किताबें बदलते हैं, तो प्राइमरी स्कूल्स में आप यह नियम कर दें कि चौथे दर्जे तक, पांचवें दर्जे तक टैक्स्ट बुक्स बार बार न बदले जायें । हर दो वर्ष में टैक्स्ट बुक्स बदल जाते हैं । मैंने देखा है हर दूसरे वर्ष बदलते हैं और आप जानते हैं छोटे बच्चों की किताब बार बार फटती है, उनको बार बार किताब मोल लेनी होती है । बच्चे हठीले भी होते हैं । इसलिये जिन बच्चों के पास किताब नहीं हैं उनको हमें किताबें दिलानी होंगी । नहीं तो नतीजा यह होगा कि बाप के पास पैसा होगा नहीं, वह कहेगा : मदरसे में मत जाओ । इस तरह से बच्चे का स्कूल जाना रुक जायगा । अगर आप मिड डे मील की तजवीज न करें तो इतनी तजवीज तो करें कि खास तौर पर गरीब लड़कों को तो पट्टी, पेंसिल, किताबें लोकल बाडीज से या और कहीं से मिल जायें । तभी यह कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन चल सकता है, नहीं तो जुर्माना आप करते रहेंगे और जुर्माना वसूल नहीं होगा । मैंन देखा और बम्बई राज्य में मैंन स्वयं अनुभव किया है—मैंने जिला स्कूल बोर्ड में काम किया है—वहां दो रुपये के बदले में पांच रुपये की सजा रखी है । वह रकम बढ़ती ही जाती है और वसूल कुछ होता नहीं है । वसूल हो कहां से ? आप कुछ करने जायेंगे तो इतना जुर्म गरीबों के ऊपर होगा कि स्वयं आप ही बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे । इसलिय पहले उनकी एक तरफ मुसीबत कम करियेगा तो वे आप से आप इस काम को करने लग जायेंगे । सिर्फ कहन से कि उनको कोई नौकर न रखे, उनको काम पर न ले इससे काम नहीं चलेगा, इससे तो जर्म होगा

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

क्योंकि जो बड़े लोग हैं, मालदार हैं वे आपके कानून को मान लेंगे और गरीबों के बच्चों को काम नहीं मिलेगा तो वे न तो पढ़ सकेंगे और न मां बाप की आर्थिक सहायता कर सकेंगे। इसलिये क्लाज ९ के साथ साथ आप कुछ ऐसी तजवीज करें कि जिससे उन बच्चों को सहायता मिले।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I want you to be short, Mr. Deokinandan Narayan; there are still two or three more speakers. Let us finish the discussion today.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: 1 shall just finish.

इसके बाद एक बात मुझे और कहनी है सेक्शन १९ में :

"If a scheme submitted by a local authority is sanctioned under pub-section (4) of section 3, the State Government shall bear such percentage of the recurring and nonrecurring cost of the scheme as it may from time to time determine."

मैं यह कहना चाहूंगा कि इसको इस तरह से अस्पष्ट रखना ठीक नहीं है क्योंकि जब आप अस्पष्ट रखेंगे और पहले से लोकल आथारिटीज को इस बात का पता नहीं चलेगा तो वे भी सोचते रहेंगे कि इस काम में पैर रखें या नहीं रखें। इसलिये, जिस तरह कि बम्बई राज्य में है, खास कर रूरल एरियाज में, कि सारा खर्च सरकार करती है, सारा बजट सरकार का होता है, डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड्स से सिर्फ जो तीन आना रुपये के पीछे किसान से लोकल सेस लिया जाता है उसमें से बारह पाई यानी एक आना सरकार लेती है। और यह एक आना ले लेने के बाद सारा खर्च सरकार करती है तब वहां फ्री कम्पलसरी एजुकेशन लोकल आथारिटी कर सकती है, उसी तरह से यहां भी होना चाहिये क्योंकि लोकल आथारिटी का खुद का खर्च तो इतना जबर्दस्त होता है कि वह उससे आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते। इसलिये लोकल अथारिटीज को यह साफ मालूम हो जाना चाहिये कि उनको सरकार से कितनी मदद होगी, कहां तक होगी।

यहां शिक्षकों के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। मैं उसके संबंध में ज्यादा नहीं कहना चाहता। परन्तु यह आवश्यक है कि शिक्षकों का सेलेक्शन उचित ढंग से हो क्योंकि उनका सेलेक्शन ठीक ढंग का नहीं होता। जितना जितना हम नीचे उतरते हैं उतनी उतनी बेकारों की संख्या बढ़ती है। लोकल बोर्ड या लोकल आथारिटीज के एड्मिनिस्ट्रेटिव आफिसर या चेयरमैन वगैरह बैठ कर सेलेक्शन करते हैं और जांत पांत और नातेगोते, के सैंकड़ों सवाल पैदा होते हैं। इसलिये एक तो उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ाई जाय और दूसरे उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायें और सेलेक्शन के भी कुछ नियम ऐसे रखे जायें ताकि अच्छे आदमी चुने जा सकें, केवल बेहतर आदमी चुने जायें जो कि शिक्षा का प्रबन्ध ठीक तरह से कर सकें। आज का जो सेलेक्शन करने का ढंग है वह बहुत ही गिरा हुआ ढंग है। सेलेक्शन के ही कारण इतनी मुसीबतें पैदा होती हैं क्योंकि अच्छे आदमी नहीं चुने जाते हैं। मैंने यह देखा है कि एक अच्छा आदमी चुना जाता है तो एक ऐसा निकम्मा आदमी चुना जाता है कि जब दोनों एक स्कूल में पहुंच जाते हैं तो बच्चे भी हंसने लगते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है मंत्री महोदय से कि शिक्षकों के सेलेक्शन के लिये खास नियम रखे जायें खास तजवीज की जाय।

इतना कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय से मेरी यह खास प्रार्थना है कि सरकार के ऊपर वे अपना नैतिक वजन डालें जिस से ज्यादा से ज्यादा रुपया इस प्राथमिक शिक्षा के लिये तीसरी योजना में मिले और सारे देश में यह फ्री कंपलसरी एजुकेशन शुरू हो जाय और माननीय स्वर्गीय गोखले जी का सपना सत्य हो। यह आप कर सकते हैं और इसको प्रथम प्रायरिटी आप दिलाने की कोशिश करें क्योंकि

यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका इस देश की गरीब से गरीब जनता से संबंध है और जिस से हर एक गरीब के घर में आपका पैग़ाम पहुंच सकता है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kurre. No repetitions; please be very short.

SHRI DAYALDAS KURRE (Madhya Pradesh); Within five minutes I shall finish.

आदरणीय उपसभापति महोदय, इस बिल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं । साथ ही साथ जब मैंने यह बिल देखा और उस के ऊपर मैंने हेडिंग देखी तो उस में यह लिखा हुआ था The Delhi Primary Education Bill, 1960 हेडिंग देख कर मुझे ऐसा आभास हुआ कि इस बिल में दिल्ली की प्राइमरी एजुकेशन के सिलसिले में, प्राथमिक शिक्षा के विषय में, कुछ बातें कही गई हैं । म सोच रहा था कि आगे प्राइमरी शिक्षा की रूपरेखा क्या होगी और इन सब बातों का इस में वर्णन किया गया होगा । लेकिन जब मैंने शुरू से अंत तक इस बिल को पढ़ा तो पढ़ने के बाद मुझे यह मालूम पड़ा कि ये सारी चीजें कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन पर केन्द्रित हो गई हैं । कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो कि दिल्ली एरिया में होने जा रही है, उसकी रूपरेखा क्या होगी ; इस विषय पर भी इस में बताया गया है । इस में स्पेशल स्कूल का भी वर्णन किया गया है । कम्पलसरी एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी ? हम यह देखते हैं कि जिन की माली हालत अच्छी है वही अपने बच्चों की पढ़ाई आगे तक ले जाते हैं । किन्तु अधिकांश विद्यार्थी दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवां दर्जा पास कर ने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं । उस के बाद वे खुले हुये संसार के सामने आते हैं और जीवन संग्राम में लग जाते हैं । जहां तक मैं समझता हूं सरकार का यह उद्देश्य है कि छः वर्ष से लेकर १४ वर्ष तक का एक ऐसा समय चुना जाये जिस के भीतर बच्चे को इतनी शिक्षा दी जाय कि वह देश का एक उत्तम नागरिक बन सके । शिक्षा का जो उद्देश्य है कि वह अच्छे नागरिक बनाती है वह एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने है । जहां तक मैंने समझा है, शिक्षा का उद्देश्य यह है कि मनुष्य की मानसिक शक्ति बढ़े, उसका नैतिक स्तर ऊंचा हो, उसका चरित्र-बल बढ़े, उसका भविष्य अच्छा बने और उस में वह कामयाब हो । इन सब को मिला कर मैं यह कहूंगा कि शिक्षा सर्वांगीण हो जो सब तरह से मनुष्य को ऊपर उठा सके । यदि यह दृष्टिकोण सामने रख कर अनिवार्य शिक्षा चालू की जा रही है तो बहुत ही अच्छा रहेगा । जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया, मैं यह नहीं कहता कि यह अनिवार्य शिक्षा दिल्ली में ही शुरू होने जा रही है और केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र में इसे चालू कर रही है । ऐसा नहीं है जहां तक मुझे देखने में आया, मध्य प्रदेश के बहुत से भागों में अनिवार्य शिक्षा पहले से है । मैं कहूंगा कि वहां बहुत से स्थानों पर आज से नहीं, कोई चार छः वर्ष से प्रान्तीय सरकार ने फ्री एजुकेशन कर दी है और उस से गरीबों को बड़ी सुविधा मिल रही है ।

आप देखेंगे कि जो गरीब हैं, कारखाने में काम करने वाले वर्कर्स हैं, किसान हैं, वे अपने बच्चों को प्राइमरी क्लास तक ही शिक्षा नहीं दे सकते । उस में मैंने जो एक कारण देखा है वह यह है कि शिक्षकों में जो पढ़ाने का एक गुण होना चाहिये उसका उन में अभाव है । एक इसलिए जब तक हम को प्राइमरी शिक्षा को सफल बनाने के लिए योग्य शिक्षक नहीं मिलेंगे और जब तक उनका चुनाव केवल प्रांतीय सरकार ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार नहीं करेगी, तब तक हमारा काम भली प्रकार से चल नहीं सकता । इस विषय में जो खास योग्यता रखते हैं, उनकी आवश्यकता है । यदि

[श्री दयाल दास कुरें]

उनकी कमी है तो जितने ट्रेनिंग स्कूल इस समय हैं, उन से अधिक खोलने की आवश्यकता है । मैं देखता हूं कि बच्चों का मनोविज्ञान से विशेष सम्बन्ध होता है । इसलिए जब तक ट्रेन्ड शिक्षक नहीं रहेंगे, जब तक शिक्षकों को बच्चों की टेंडेंसीज़ का, बच्चों की प्रवृत्तियों का अनुभव नहीं होगा, तब तक ग़रीबों के बच्चे एजुकेशन की ओर बढ नहीं सकते । देखने में आता है कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के पहले या उस से दो चार साल पहले छड़ी का उपयोग किया जाता था और उससे बहुत से विद्यार्थियों का जीवन बिगड़ा । उसके कारण उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी । इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि ट्रेन्ड शिक्षक नियुक्त किये जायें, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाय और उनको ट्यूशन करने से रोका जाय । आज वे जिस प्रकार बड़े आदमियों के घर पर जाकर ट्यूशन करते हैं उससे उनके नैतिक चरित्र का पतन हो रहा है । प्राचीन काल में जैसा गुरुओं का उच्च स्थान था कि राजा तक को उनके सामने झुकना पड़ता था, आज उसका अभाव हो गया है । आजकल होता यह है कि शिक्षकों को एक नहीं बल्कि दस दरवाजों पर रोज सवेरे और शाम पढ़ाने के लिये जाना पड़ता है जिससे जिस स्थान पर उनका आदर होना चाहिये वहां वह आदर न होकर उनके बच्चों तक को सलाम करना पड़ता है और साथ ही साथ उन घरों के जो मालिक होते हैं उनको भी सलाम करना पड़ता है । आज हमें इस प्रवृत्ति को समाप्त करना है । जब तक यह टेंडेंसी समाज से दूर नहीं होगी, तब तक शिक्षक का स्थान ऊंचा नहीं होगा और उत्तम नागरिक बनाने में हम सफल नहीं होंगे । इसके लिये उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिये और उनके लिये जनरल प्रा.वडेंट फंड और ग्रेच्युटी की स्कीमें चलाई जानी चाहियें । इसके साथ ही साथ जो हमें योग्य प्राइमरी टीचर्स मिलें, उनके रिटायरमेंट के बाद उनके अनुभव को हमें उपयोग में लाना चाहिये । उनका अनुभव भी हमारे देश के हित में बड़ा काम आयेगा । पढ़ाने का समय समाप्त होने के बाद शिक्षकों में से बहुत से कवि निकलते हैं, बहुत से साहित्यकार निकलते हैं , बहुत से ड्रामेटिस्ट निकलते हैं । रिटायर होने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके अनुभव को उपयोग में लाये और उनको सलाहकार समितियों में ले । जिस विषय में उनका अनुभव हो, उस विषय में उनकी किताबों को बोर्ड में चलाया जाय । इससे समाज में शिक्षक का स्थान ऊपर उठेगा । इससे उसके रिटायरमेंट के समय में जब उसके दैनिक जीवन में पैसे की कमी हो जाती है उसमें भी उसको सहायता मिलेगी और समाज में उसका स्थान ऊंचा होगा ।

दूसरे विषयों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं । लोगों की माली हालत और मिड डे मील आदि के बारे में मुझे अधिक कहना नहीं है । कम्पलसरी शिक्षा में जो बड़ी महत्व की चीज है वह यह है कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में उतना ही ध्यान दिया गया है जितना कि लड़कों को शिक्षा के बारे में ध्यान दिया गया है । मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं इसे दिल्ली एरिया में ही सीमित न करके केन्द्रीय सरकार इसे स्टेट्स में भी शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने के लिये प्रयत्नशील रहेगी । इस विषय में जितनी भी सहायता की मांग स्टेट्स की ओर से होगी, हम आशा करते हैं कि वह पूरी की जायगी ।

साथ ही साथ समाज में मनुष्यों को उत्तम नागरिक बनाने के लिये पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये । आजकल बेसिक स्कूलों की बड़ी चर्चा चली है । साधारण प्राइमरी स्कूल बेसिक स्कूल में परिवर्तित किये जा रहे हैं । जैसा कि रिपोर्ट में मैंने देखा, मैसूर ने एसा किया है, मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है । इस प्रकार सरकार बेसिक स्कूलों को चालू करने के लिये विशेष प्रयत्न-

शील है । बेसिक स्कूलों की जो इस समय प्राइमरी स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में गति है वह सचमुच अविवरणीय है । सरकार इस पर ध्यान दे । एसा नहीं होना चाहिये कि बेसिक स्कूलों में जो तकुली और चरखे हैं वे केवल पेटियों में बन्द रहें । उनका उपयोग किया जाय । साथ ही साथ बेसिक स्कूलों में जो भी चीज़ें रखी हैं उनका सही सही उपयोग किया जाय और इस सम्बन्ध में जितनी भी रकम की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति की जाय । सरकार से मेरी यही प्रार्थना है । इसके बाद मैं इस बिल का हार्दिक स्वागत करता हूं ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have got just ten minutes. Mr. Bisht.

SHRI J. S. BISHT: Mr. Deputy Chairman, I regret to note that the hon. Minister of Education has received more brickbats than bouquets for bringing this small Bill here. Very many learned speeches have been made here roaming over the whole field of education, but this is a very small Bill concerning a very small bit of territory in the Union of India. I was wondering why we were roaming all over, because there are so many States in India and also education is a subject that falls within the sphere of the States under our Constitution and it is not a Central subject at all. We have had to deliberate on this Bill merely because the Delhi State was abolished and therefore we are functioning here as the Delhi Legislative Assembly in so far as Delhi's primary education is concerned. We are concerned only with the fact that compulsory and free primary education should be provided in the territory of Delhi which has an area, as you know, of about 500 sq. miles and a population of about two millions. Therefore, all these matters that have been thrashed out and debated here could properly be debated in the Legislative Assemblies of the States which are the proper forum for this purpose.

My hon. friend, Shri Deokinandan Narayan, said this was a question of money. That is exactly the position. It is a question of money. The District Boards, for instance, have to get the money for they have to bear the brunt of the cost of providing this education and they have to get part of it from the State Governments and the States do not have the money and therefore the Centre has to pay and so on. Where is the Centre to get all this money from? So, the question is this Parliament or **the** representatives of the people have to decide priorities. Whenever the question of the Plans comes up, you have to decide whether you want industrialisation first or you want expansion of communications first or the expansion of health services first or you want the expansion of education first. Surely our health services need attention and they require crores and crores of rupees both recurring and non-recurring. Then there is primary education which requires also crores of rupees. If we take this up, then let us postpone industrialisation altogether. That is why I say you should have some sort of priorities about these things, some sort of sense of proportion. We cannot have everything at the same time. If we want to march all along, we have to march bit by bit, advance a little in education advance a little in industrialisation and in health services and so on. You cannot have all this all at once. That is an utter impossibility.

So far as hon. Members are concerned, we know the Budget comes before the House and my hon. friend knows that the Appropriation Bill will be coming here probably next week and he can point out what item should be cut out from that or cut down and diverted to this purpose. That is the simple question. Why put the blame on the poor Education Minister? Where is the Minister to find the money from? So, cut out a particular item from the Budget and divert it to this purpose.

SHRI ROHIT M. DAVE (Bombay): But how can that be done if **there** is

no head for the purpose? How can you provide for mid-day meals if there is no head for that?

SHRI J. S. BISHT: No, I am here discussing the question of finance. Where is the money to come from? All these demands come because of one thing. The States or the local authorities think that since the Government of India now goes in for deficit financing, they will print more and more notes. So, when they are printing a few hundred crores, why not print a few more notes? Then we shall have so many more educational institutions and so on. That is the whole idea. But you cannot go on like that, because that is the royal road to bankruptcy. You cannot go on like that. What else can be done? Do you suggest some new proposal for taxation, an education cess in the length and breadth of India? If you do, I am with you. You suggest a health cess, I am with you. Otherwise, this is not the correct method. Every time the Plan comes in everybody suggests some items of expenditure. But when it comes to the question of finding ways and means, when it comes to taxes, then they are opposed. If there is a cycle tax of Rs. 10, it must be opposed. If there is a little tax on something else, it must be opposed. Soon the Finance Bill will come here and my hon. friend over there will oppose it. But I say, we cannot go on like this. We have got very limited means.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: You cannot find money for primary education?

MR DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. Let him go on.

SHRI J. S. BISHT: Everything is desirable and necessary in this country. But we are a desperately poor country. We are among the desperately poor countries of the world and our *per capita* income is hardly Rs. 300 which means not even 40 dollars or 50 dollars whereas in America it is 1,400 dollars. That is their *per capita* income. Therefore, it is a question of increasing wealth. Increase production and also wealth and then you will have the other amenities like education, medical aid, good housing, good transport and everything. You cannot have something out of nothing.

Sir, so far as this particular Bill is concerned, I feel that it is a good Bill. My hon. friend here thought that it was the first time that this Bill had been brought before the House. If he had only looked at clause 22, he would have seen that already there is an Act operating in Delhi and so it is stated here:

> "On the date on which primary education becomes compulsory in any specified area, the Punjab Primary Education Act, 1940 as in force in the Union territory of Delhi shall stand repealed in such area."

This is compulsory and free education and they have now a Bill which is not a new Bill. In U.P. we have got an Act. In Bombay they have got an Act and in every other State also they have got Acts and they are going on with primary education to the best of their ability and as far as their resources permit them. They can proceed only gradually. Here, if you force the parents to send their children to a particular school and say that they will be punished for not sending the children to school, and at the same time you do not provide the school, then that would be a very awkward position and no court would inflict any punishment. That would be an absurd position. That is why exemptions have been granted. My hon. friend here is acting under a misapprehension. He said, you are granting exemptions.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: You should provide the schools there.

SHRI J. S. BISHT: Exactly, they will provide the schools, for that is the purpose of this Bill. But we cannot provide the school all at once, over-night. If the provisions of the Bill are brought into force there may

not be sufficient schools. There may be a school like the Bhartiya Vidya Bhavan which is already catering to the demand there. If the parents are sending their children to that particular school or to some other school, then they may be exempted, they must be entitled to exemption. The parent should not be forced. After all, - what is the objective here? Is it that the children should remain illiterate and uneducated? No. If the parents are able to send the children to some other education centre and provide for their education, why force them to send the children to this particular institution? There is no question of forcing.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: There should be no exemption.

SHRI J. S. BISHT: There should be exemption because the children are well looked after by being sent to some educational institution that may be functioning in the neighbourhood.

With regard to the other point raised by my hon. friend over there, who said that the Bharatiya Vidya Bhavan was charging very high rates of fees, I have only to say that I do not know what amounts are paid. If I have a child and if I am willing to pay, why do you want to force me to send him to a particular school? What law can stop me? There are plenty of persons I know, ladies, in most urban areas in Uttar Pradesh who have started these kindergarten schools and small primary schools of their own. There they are giving good education and as against the primary schools, they charge Rs. 10 or Rs. 15 per child. Yet these schools are so over-crowded that they are unable to admit all the children, because the parents want to send the children there. What is the objection to that? Hew can the State by some sort of law say they should not charge it? Why should tbsy not charge? If there is a demand for it, then the supply will be there to meet that demand. And they provide a better type of education. I do not say the Siate should not provide it. Let the State also provide for such education. But as I said, the State is in such a poor financial position that it is not in a position even to provide ordinary elementary education. Therefore, how can the State provide for the higher type of education? To ask for that would be to ask for the impossible. If you proceed to provide that type of education, then you will have only a hundred schools in a place like Delhi where you require a thousand at least. You will be depriving a number of children of the opportunity of going to school. Therefore, I say this Bill which concerns Delhi is a very good one and the hon. Minister deserves our fullest support and our congratulations for this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Minister will reply tomorrow. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Thursday, **the** 14th April 1960.